कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू।

(पंचायत शाखा)

Phone No. 06562-224077,224033 E-mail - ddc-pal@nic.in

सूचना

निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज), झारखण्ड के अधिसूचना संख्या– 395 दिनांक 19.02.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय ज्ञापांक 178 दिनांक 13.03.2021 के द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत पलामू जिला में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए संविदा आधारित पद पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उपरोक्त दोनों पदों के लिए प्राप्त आवेदन को कम्प्यूटरीकृत करने के उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची पलामू जिला के Official Website पर अपलोड करते हुए टंकण त्रुटि के संबंध में अभ्यर्थियों से दावा/आपत्ति की मांग की गयी। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से दावा/आपत्ति प्राप्ति के उपरान्त योग्य/अयोग्य एवं विषय ज्ञान संबंधी परीक्षा हेतु कोटिवार 3 गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची जिला के Official Website- www.palamu.nic.in पर अपलोड किया गया है।

सरकार के सयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड रांची का पत्रांक 1583 दिनांक 27.08.2021 के आलोक में विषय ज्ञान की परीक्षा दिनांक 05.09.2021 को कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर दोनों के लिए आहूत की जायेगी। कनीय अभियंता के लिए प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:30 बजे से 12:30 बजे अपराह्न तक) तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए द्वितीय पाली में (अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तक) परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र स्थल का निर्धारण के संबंध में विस्तृत विवरणी की सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी।

उपायुक्त, पलामू।

164

पत्र संख्या :– 01 स्था (वि0)– 110/2018 ......850.......
झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

सुरेश कुमार दास,
सरकार के अवर सचिव।

उपायुक्त,
गुमला।

राँची, दिनांक :– 8.4.2021

विषय :– सेवा अनुबंध पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 146 दिनांक 26.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सेवा अनुबंध पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने के विषय पर कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की मांग की गयी है।

तद्नुसार उक्त विषय पर निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

i. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष रखी गयी है। समकक्ष डिग्री का तात्पर्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक स्तर की त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम आधारित डिग्री होगी जिसमें एक विषय गणित अथवा सांख्यिकी अनिवार्य रूप से तीनों वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल रहा हो।

ii. सेवा अनुबंध हेतु जिला स्तरीय पैनल तैयार करने के क्रम में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित है। स्पष्टतः अधिकतम अंक सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को देय होगा। चूँकि 14वें वित्त आयोग की अवधि 05 वर्षों की थी, अतः अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अभ्यर्थी के वर्षवार अनुभव अवधि के अनुरूप देय अंक निर्धारित करने के बिन्दु पर निर्णय लेने में जिला स्तरीय चयन समिति स्वयं सक्षम है।

iii. विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश अलग से जारी की जाएगी।

विश्वासभाजन

8-4-21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 110/2018 ......850...... दिनांक :– 8.4.2021

प्रतिलिपि :– सभी उपायुक्त, झारखण्ड (गुमला को छोड़कर), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8-4-21

सरकार के अवर सचिव।

Scanned with CamScanner